रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225962 CG-DL-E-17032021-225962

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1147]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2021/फाल्गुन 26, 1942

No. 1147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2021/PHALGUNA 26, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

का.आ. 1235(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 701(अ) तारीख 10मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5,11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण(जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है) नीचे की सारणी के स्तंभ(6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ(3),(4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ(2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की,वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है

सारणी

क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रासुग्रेल हाइड्रोक्लोराइड +	प्रत्येक कप्सूल मे: प्रासुग्रेल हाइड्रोक्लोराइड 10	1 कप्सूल	मैसर्स टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स प्रा.	20.16

1659 GI/2021 (1)

क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य
					(रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	एस्पिरिन कप्सूल	मिलीग्राम (फिल्म कोटेड),		लिमिटेड	
		एस्पिरिन 75 मिलीग्राम (एंटेरिक			
		कोटेड)			
2.	इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन	इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन, 200 आईयू / मि.ली.	1 मि.ली.	मैसर्स वोकार्ड लिमिटेड	106.65
3.	आईसोफेने इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंन्सन + इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन	70% आईसोफेने इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंन्सन और 30% इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन, 200 आईयू / मि.ली.	1 मि.ली.	मैसर्स वोकार्ड लिमिटेड	106.65

नोट:

- (क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म ट में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी कापी राज्य औषिध नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्ष के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृष्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्षित करेगा।
- (ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म प् पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती है।
- (च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (छ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरुप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[पीएन/216/84/2021/एफ/फा.सं.8(84)/2021/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजित दास, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(National Pharmaceutical Pricing Authority)

ORDER

New Delhi, the 17th March, 2021

S.O. 1235(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S. O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Prasugrel Hydrochloride + Aspirin Capsule	Each capsule contains: Prasugrel Hydrochloride 10 mg (as film coated), Aspirin 75 mg (as enteric coated)	1 Capsule	M/s Torrent Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	20.16
2.	Insulin Human Injection	Insulin Human Injection, 200IU/ml	1 ML	M/s Wockhardt Ltd	106.65
3.	Isophene Insulin Human Suspension + Insulin Human Injection	70% Isophene Insulin Human Suspension and 30% Insulin Human Injection, 200IU/ml	1 ML	M/s Wockhardt Ltd	106.65

Note:

- (a) The manufacturer of above mentioned formulations i.e. "new drug" under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add goods and services tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be

liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.

(g) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/216/84/2021/F / F. No. 8(84)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

का.आ. 1236(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 30.06.2020 के का. आ. 2151 (अ) और दिनांक 03.12.2020 के का. आ. 4333 (अ) के माध्यम से 31.03.2021 तक विस्तारित अधिसूचना के माध्यम से डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत, हेपरिन इंजेक्शन 1000 आई यू/मिली और हेपरिन इंजेक्शन 5000 आई यू/मिली की अधिकतम कीमतें तय की गयी हैं, जिन्हें आगे 30.09.2021 या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो तक बढ़ाया गया है।

2. दिनांक 03.12.2020 के विस्तार के आदेश का.आ. (अ) 4333 के साथ पढ़े गये दिनांक 30 जून, 2020 के मूल आदेश का.आ. 2151(अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और "31 मार्च 2021" वाक्यांश के लिए पैरा 6, टिप्पणियां (क) और नोट (ट) को छोड़कर लागू होते हैं इसे "31 सितम्बर 2021" या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो के रूप में पढ़ा जाना है।

[पीएन/216/84/2021/एफ/फा.सं.8(84)/2021/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजित दास, उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 17th March, 2021

- **S.O. 1236(E).**—The ceiling prices of Heparin Injection 1000IU/ ml and Heparin Injection 5000IU/ ml fixed under Para 19 of the DPCO, 2013 vide notification S.O. 2151(E) dated 30.06.2020 and extended upto 31.03.2021 vide S.O. 4333(E) dated 03.12.2020, issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India are further extended upto 30.09.2021 or until further order, whichever is earlier.
- 2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 2151(E) dated 30.06.2020 read with extension order S.O. 4333(E) dated 03.12.2020 shall remain the same and are applicable except that in Para 6, Notes (a) and Note (k) for the phrase "31st March 2021" it is to be read as "30th September 2021 or until further order, whichever is earlier".

[PN/216/84/2021/F / F. No. 8(84)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

का.आ. 1237(अ).—िदनांक 18.12.2019 के का. आ 4538 (अ) में, वाक्यांश के लिए "उपरोक्त उल्लिखित तालिका के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट रूप में सिनक्रोब्रीथ इनहेलर डिवाइस की कीमत विनिर्मिति(क) बुडेसोनाइड 200 एमसीजी + फॉर्मेटरोल 6 एमसीजी प्रति खुराक इनहेलर 120 एमडीआई और (ख) मैसर्स सिप्ला लिमिटेड के बुडेसोनाइड 400 एमसीजी + फॉर्मेटरोल 6 एमसीजी प्रति खुराक इनहेलर 120 एमडीआई के अधिकतम कीमत में बाद में परिवर्तन के बावजूद निश्चित रहेगी।" नोट (ई) में उल्लिखित है, इसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है "डीपीसीओ, 2013 के पैरा 16 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) पर आधारित मूल्य संशोधन अगले वर्ष से उपरोक्त तालिका के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट रूप में सिनक्रोब्रीथ इन्हेलर डिवाइस की कीमत पर लागू होगा"।